भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 155

उत्तर देने की तारीख : 05.12.2024

बंद पड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित सर्वेक्षण

***155. श्री गोपाल जी ठाकुर :**
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में विशेषत: हरियाणा के सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के दरभंगा जिले तथा झारखंड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बंद पड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कोई सर्वेक्षण किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त निर्वाचन क्षेत्रों सहित विशेषत: बिहार, हरियाणा और झारखंड में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के माध्यम से राज्य-वार कितने रोजगार सृजित हुए;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान बंद पड़े मौजूदा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सुदृढ़ करने, उन्हें सहायता प्रदान करने, उनका वित्तपोषण करने, उन्हें पुनर्जीवित करने और उनका पुनर्निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय संस्थानों के साथ कामकाज करने में होने वाली कठिनाइयों के संबंध में उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कोई चर्चा या संवाद शुरू किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया है।

"बंद हो चुके एमएसएमई पर सर्वेक्षण" के संबंध में लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 155, **जिसका उत्तर दिनांक** 05.12.2024 **को दिया जाना है के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क) : कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, हालाँकि, उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 0.22% एमएसएमई बंद होने के कारण अपंजीकृत हो चुके हैं। साथ ही, इसी अवधि के दौरान 3.13 करोड़ उद्यमों ने यूआरपी पर पंजीकरण कराया है। दिनांक 01.04.2023 को यूआरपी पर पंजीकरण 1.52 करोड़ से बढ़कर दिनांक 30.11.2024 तक 3.13 करोड़ हो चुका है। निम्नलिखित तालिका में उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार सोनीपत, दरभंगा और गिरिडीह जिले का विवरण शामिल है।

क्र. सं.	अखिल भारतीय, राज्य एवं जिला स्तरीय	01.7.2020 से 30.11.2024 तक पंजीकृत एमएसएमई की संख्या	01.7.2020 से 30.11.2024 तक पंजीकृत एमएसएमई में से बंद हो चुके एमएसएमई की संख्या का प्रतिशत (%)
1.	अखिल भारतीय	3.13 करोड़	0.22
2. (क)	हरियाणा	10.01 लाख	0.005
(ख)	सोनीपत	00.47 लाख	0.0003
3. (क)	बिहार	12.80 लाख	0.0103
(ख)	दरभंगा,	00.42 लाख	0.0005
4. (क)	झारखंड	5.20 लाख	0.0037
(ख)	गिरिडीह	00.33 लाख	0.0002

(ख) : दिनांक 30.11.2024 तक पंजीकृत उद्यमों द्वारा सूचित रोजगार का राज्य-वार विवरण जिसमें दरभंगा, सोनीपत और गिरिडीह जिले शामिल हैं, की स्थिति, अनुबंध-I, II, III और IV में दी गई है।

(ग) : एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने, समर्थन और वित्तपोषित करने, पुनर्जीवित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए, भारत सरकार ने कई उपाय किए हैं और इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

i. प्रारंभिक चरण में एमएसएमई खातों में दबाव को दूर करने और उनके पुनरुद्धार को सुविधाजनक बनाने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने 29 मई, 2015 के अपने राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए एक फ्रेमवर्क' (एमएसएमई के लिए एफआरआर) को अधिसूचित किया। राजपत्र अधिसूचना के अनुक्रम में, आरबीआई ने दिनांक 17.03.2016 के अपने परिपत्र संख्या आरबीआई/2015-16/338एफआईडीडी.एमएसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं.21/06.02.31/2015-16 के माध्यम से अनुदेश जारी किए।

ii. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। दिनांक 31.03.2023 तक यह योजना क्रियाशील थी। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना पर भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 23.01.2023 की शोध रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खाते, जिनमें से लगभग 98.3% खाते सूक्ष्म और लघु उद्यम श्रेणियों के थे, को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) वर्गीकरण में जाने से बचा लिया गया था।

iii. एमएसएमई मंत्रालय के सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत, सदस्य ऋण प्रदाता संस्थानों को एमएसई को उनके द्वारा दिए गए ऋण के लिए बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा या तृतीय पक्ष की गारंटी प्रदान की जाती है। जैसा कि वर्ष 2022-23 और 2023-24 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी, एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कोष में 9,000 करोड़ रुपये दिये गए, ताकि ऋण की कम लागत पर 2.00 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

iv. आत्मनिर्भर भारत फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी निवेश।

v. एमएसएमई को परिभाषित करने के लिए संशोधित नए मानदंड।

vi. व्यवसाय की सुगमता हेतु दिनांक 01.07.2020 से एमएसएमई के लिए "उद्यम पंजीकरण" ।

vii. खुदरा और थोक व्यापारियों का दिनांक 02.07.2021 से एमएसएमई के रूप में समावेशन।

viii. एमएसएमई की स्थिति में प्रगतिशील परिवर्तन के मामले में गैर-कर लाभ 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।

ix. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम सहायता प्लेटफ़ॉर्म (यूएपी) का शुभारंभ।

x. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

(घ) और (ङ) : एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.06.2020 को लॉन्च किए गए चैंपियंस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। यह एक आईसीटी आधारित प्रणाली है, जो एमएसएमई की शिकायतों के निवारण के लिए हब और स्पोक मॉडल में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष और 69 राज्य नियंत्रण कक्षों का संचालन करती है। परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर, चैंपियंस पोर्टल का दायरा बैंकों / वित्तीय संस्थानों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सीपीएसई आदि तक विस्तारित किया गया है।

एमएसएमई के बारे में जागरूकता पैदा करने और एमएसएमई के लिए किफायती ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई-विकास कार्यालय (एमएसएमई-डीएफओ), बैंकों, सदस्य ऋण संस्थानों, सिडबी, सीजीटीएमएसई आदि के समन्वय में एमएसएमई और उद्योग संघों के साथ कार्यशालाएं/वार्ता सत्र आयोजित करता है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 155, जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 01/07/2020 से 30/11/2024 तक
एमएसएमई द्वारा सूचित अखिल भारतीय स्तर पर राज्य-वार रोजगार

क्र. सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र का नाम	सूचित रोजगार
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,42,123
2.	आंध्र प्रदेश	1,19,46,322
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,80,787
4.	असम	51,44,186
5.	बिहार	1,05,13,995
6.	चंडीगढ़	3,51,136
7.	छत्तीसगढ़	31,03,978
8.	दिल्ली	69,20,657
9.	गोवा	3,80,481
10.	गुजरात	1,28,78,537
11.	हरियाणा	67,25,061
12.	हिमाचल प्रदेश	10,98,669
13.	जम्मू और कश्मीर	24,76,596
14.	झारखंड	41,99,027
15.	कर्नाटक	1,90,66,710
16.	केरल	46,22,919
17.	लद्दाख	50,121
18.	लक्षद्वीप	5,491
19.	मध्य प्रदेश	1,01,96,990
20.	महाराष्ट्र	2,48,82,033
21.	मणिपुर	6,19,982
22.	मेघालय	1,80,926
23.	मिजोरम	1,92,980
24.	नागालैंड	2,01,387
25.	ओडिशा	81,63,137
26.	पुडुचेरी	3,16,235
27.	पंजाब	72,16,607
28.	राजस्थान	1,32,61,764
29.	सिक्किम	85,355
30.	तमिलनाडु	2,40,95,491
31.	तेलंगाना	1,30,47,615
32.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2,26,615
33.	त्रिपुरा	8,18,996
34.	उत्तर प्रदेश	2,29,28,343
35.	उत्तराखंड	19,37,333
36.	पश्चिम बंगाल	1,55,79,729
	कुल :-	23,38,58,314
	रिपोर्ट दिनांक:- 03/12/2024	

स्रोत: उद्यम पंजीकरण पोर्टल

अनुबंध-II

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 155, जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 01/07/2020 से 30/11/2024 तक एमएसएमई द्वारा बिहार में सूचित जिला-वार रोजगार		
क्र.सं.	**ज़िला**	**रोजगार रिपोर्ट**
1	अररिया	3,26,264
2	अरवल	36,178
3	औरंगाबाद	2,94,253
4	बांका	1,36,238
5	बेगूसराय	3,42,031
6	भागलपुर	3,73,666
7	भोजपुर	1,63,014
8	बक्सर	98,011
9	दरभंगा	2,98,266
10	गया	4,00,415
11	गोपालगंज	2,51,537
12	जमुई	1,34,441
13	जहानाबाद	97,271
14	कैमूर (भभुआ)	1,04,387
15	कटिहार	3,23,397
16	खगरिया	1,47,928
17	किशनगंज	1,67,169
18	लखीसराय	68,388
19	मधेपुरा	2,44,128
20	मधुबनी	3,81,069
21	मुंगेर	1,12,711
22	मुजफ्फरपुर	6,29,542
23	नालंदा	2,27,906
24	नवादा	1,75,092
25	पश्चिम चंपारण	3,08,343
26	पटना	11,33,656
27	पूरबी चंपारण	5,05,469
28	पूर्णिया	4,44,612
29	रोहतास	2,69,440
30	सहरसा	2,48,045
31	समस्तीपुर	4,10,452
32	सरन	3,41,431
33	शेखपुरा	49,085
34	शिवहर	44,854
35	सीतामढ़ी	2,95,841
36	सिवान	2,59,652
37	सुपौल	2,23,652
38	वैशाली	4,46,161
	कुल:-	1,05,13,995
रिपोर्ट दिनांक:- 03/12/2024		

स्रोत: उद्यम पंजीकरण पोर्टल

अनुबंध-III

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 155, जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 01/07/2020 से 30/11/2024 तक एमएसएमई द्वारा हरियाणा में जिला-वार रोजगार की रिपोर्ट		
क्र.सं.	**ज़िला**	**रोजगार रिपोर्ट**
1	अंबाला	3,61,611
2	भिवानी	1,89,234
3	चरकी दादरी	41,425
4	फरीदाबाद	8,81,877
5	फतेहाबाद	1,61,421
6	गुरुग्राम	13,21,176
7	हिसार	3,04,115
8	झज्जर	2,29,188
9	जींद	1,77,523
10	कैथल	1,85,585
11	करनाल	3,32,840
12	कुरुक्षेत्र	1,85,204
13	महेंद्रगढ़	1,33,272
14	नूह	1,79,255
15	पलवल	2,33,953
16	पंचकुला	1,52,283
17	पानीपत	4,52,379
18	रेवाड़ी	1,98,327
19	रोहतक	2,01,571
20	सिरसा	1,92,147
21	सोनीपत	3,57,764
22	यमुनानगर	2,52,911
	कुल:-	67,25,061
रिपोर्ट दिनांक:- 03/12/2024		

स्रोत: उद्यम पंजीकरण पोर्टल

अनुबंध-

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 155, जिसका उत्तर दिनांक 05.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 01/07/2020 से 30/11/2024 तक एमएसएमई द्वारा झारखंड में जिला-वार रोजगार की रिपोर्ट		
क्र.सं.	**ज़िला**	**रोजगार की सूचना**
1	बोकारो	2,76,937
2	चतरा	3,33,869
3	देवघर	1,38,672
4	धनबाद	3,52,589
5	दुमका	1,10,275
6	पूर्वी सिंहभूम	4,72,779
7	गढ़वा	1,93,022
8	गिरिडीह	2,04,118
9	गोड्डा	1,21,726
10	गुमला	45,962
11	हजारीबाग	2,33,709
12	जामताड़ा	39,670
13	खूंटी	23,642
14	कोडरमा	84,159
15	लातेहार	42,092
16	लोहरदगा	47,401
17	पाकुर	98,777
18	पलामू	2,07,807
19	रामगढ़	1,38,314
20	रांची	6,54,902
21	साहेबगंज	80,258
22	सरायकेला-खरसावन	1,40,342
23	सिमडेगा	66,926
24	पश्चिमी सिंहभूम	91,079
कुल:-		41,99,027
रिपोर्ट दिनांक:- 03/12/2024		

स्रोत: उद्यम पंजीकरण पोर्टल